

राजस्थान सरकार  
विधि (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक प0 8(1)विधि-2/विरस (115)/2022/56

जयपुर दिनांक: 15-02-2022

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/  
शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव/विभागाध्यक्ष/  
जिला कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक/अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,  
राज0राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।

विषय:- दिनांक 12.03.22 (द्वितीय शनिवार) को आयोजित होने वाली वर्ष 2022 की  
प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में।

संदर्भ:- इस विभाग का पत्र क्रमांक प0 8(1)विधि-2/विरस (115)/2022/50  
दिनांक 08.02.2022 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.02.2022 में  
उल्लिखित '(राजस्व न्यायालयों को छोड़कर)' को '(राजस्व न्यायालयों सहित)' पढ़ा जावे तथा बिन्दु  
संख्या 7 में दर्शित दिनांक 31.01.22 को विलोपित समझा जावे।

— Sd —

(गिरिजेश कुमार ओझा)  
विशिष्ट शासन सचिव, वि.र.स.

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. वरिष्ठ उप शासन सचिव, कार्यालय मुख्य सचिव।
2. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर को सूचनार्थ।
3. निजी सचिव, विद्वान महाधिवक्ता, जयपुर।
4. समस्त अतिरिक्त महाधिवक्ता, मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर।
5. समस्त गवर्नमेंट कौंसिलगण, जयपुर/जोधपुर।
6. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग।

15/02/2022

(गिरिजेश कुमार ओझा)  
विशिष्ट शासन सचिव, वि.र.स.